

4

सं0सं0 3 / विविध-01-52, / 2026

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

715(3)

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

डा0 पल्लवी महेश्वरी,
विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसबा, पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक 12/8/26

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा डी0एन0बी0 पी0डी0सी0ई0टी0-2026, के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन विभाग में समर्पित किया गया है।

02. उल्लेखनीय है कि बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग में आपकी प्रथम नियुक्ति विभागीय अधिसूचना सं0 1017(2) दिनांक 11.09.2020 द्वारा सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर हुई तथा पदस्थापन अति0प्रा0स्वा0 केन्द्र, बखरपुर, पिरपैती, भागलपुर में की गई। आप उक्त पदस्थापन स्थल से दिनांक 25.08.2021 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

03. विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के चिकित्सकों का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्गत दिशानिर्देश के कंडिका-5(ड) में अंकित है कि लंबी अवधि तक अवकाश/अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों को राज्य के अन्दर तथा बाहर के चिकित्सा संस्थानों में उच्च शिक्षा अध्ययन/सीनियर रेजिडेंट एवं अन्य अनुमान्य प्रयोजन हेतु अनापत्ति पुनः पदस्थापित स्थल पर योगदान करने के एक वर्ष के नियमित सेवा के उपरान्त ही देय होगा।

04. अतः विभागीय संकल्प सं0 508(3) दिनांक 05.06.2026 के कंडिका-5(ड) के आलोक में आपका आवेदन विचार योग्य नहीं है।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

W. K. K. 12/8/26
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :

715(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 12/8/26

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेंचसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. K. K. 12/8/26
सरकार के उप सचिव